

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर  
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 30/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

सोहनलाल पुत्र श्री बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी जेसला तहसील फलोदी जिला जोधपुर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2)  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :-

- 1- स्टेट की ओर से - विभागीय प्रतिनिधि  
2- अप्रार्थी - अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.01.2020



1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार पूगल ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 43/64 के किला नं. 1 में कुल 0.18 बीघा भूमि जो कि ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 61 में कुल रकबा 241 बीघा मिसल बन्दोबस्त में जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2066-2069 में वर्णित जोहड़ पायतन गैर मुमकिन भूमि की किस्म को मुमकिन काश्त में परिवर्तन कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन इ.गा.न.प. योजना छत्तरगढ़ मुकाम बीकानेर के आदेश 12.05.1990 के द्वारा सोहनलाल पुत्र बलवन्तराम जाति बिश्नोई निवासी जेसला तहसील फलोदी जिला जोधपुर को भूमि पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।
2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी अथवा अप्रार्थी की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की मामले के गुणावगुण पर इकतरफा बहस सुनी गई।

||  
अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 11 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 43/64 के किला नं. 1 में कुल 0.18 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर ने अप्रार्थी को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरुद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत भूमि मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला के खसरा नम्बर 61 में कुल रकबा 241.00 बीघा गैर मुमकीन जोहड़ मजकूर दर्ज रिकार्ड है। जो कि मुताबिक उपनिवेशन विभाग की सूची नं. 4 के खसरा नम्बर 61 से अन्य रकबों के अलावा चक 11 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 43/64 के किला नं. 1 में कुल 0.18 में पैमूद हुई। मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2066-69 में अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। मुताबिक आवंटन आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) 1975 के अन्तर्गत विशेष आवंटन में किया गया है। जिसके विरुद्ध रेफरेंस पोषणीय है। आवंटित की गई भूमि मुताबिक मिसल बन्दोबस्त ग्राम राणेवाला एवं सूची नं. 4 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते हैं। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते हैं। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते हैं।



॥  
आते. जिला कलेक्टर  
(अशासन), बीकानेर

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 11 डी.के.डी. तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 43/64 के किला नं. 1 में कुल 0.18 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.1990 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।
7. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।
8. आदेश आज दिनांक 13.01.2020 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( ए.एच. गौरी )  
अति-जिला कलेक्टर (पुशा)  
जिला कलेक्टर  
(अशासन), बीकानेर